समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, जबलपुर कैम्प जबलपुर (म०प्र०)

पुनरीक्षण याचिका कमांक R/3974/I/2014

आवेदक : जिवेन्द्रनाथ आत्मज प्रभुनाथ मिश्रा निवासी– सीलादेही तहसील व जिला सिवनी वर्तमान निवासी वार्ड सिवनी जिला सिवनी (म०प्र०)

बनाम

अनावेदकगण :

1. दसरू आत्मज दरसिया गोंड
2. हरि पिता दुकलू गोंड
3. नरसिंह पिता बुद्धु गोंड
4. नरेश पिता नारायण प्रसाद सभी निवासी– ग्राम डुगंरिया, थाना कान्हीबाड़ा, तहसील व जिला सिवनी (म०प्र०)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू राजस्व संहिता

आवेदक न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त संभाग आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 646/बी–121/2013–14 जिवेन्द्र नाथ विरूद्ध दसरू व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27/08/2014 से परिवेदित होकर आवेदक निम्न तथ्य एवं आधारों पर अपनी यह पुनरीक्षण याचिका माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करता है।

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

1. यह कि, आवेदक भारतीय थल सेना में पूर्व में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक रहा है, आवेदक की सेवा अवधि के पश्चात् आवेदक द्वारा भारत सरकार को दी गई भूतपूर्व सेवाओं जिसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान युद्ध भी शामिल रहा है, के परिपेक्ष्य में शासन के नियमानुसार आवेदक को उनके उदर पोषण हेतु सेवा निवृत्ति के पश्चात् कुछ भूमि पट्टे पर दी जाती है। जिस तारतम्य में आवेदक के कमाण्डिंग ऑफिसर द्वारा जिला कलेक्टर सिवनी को लिखे गये पत्र कमांक 330002/82/ए द्वारा आवेदक को शासन की ओर से भूमि आवंटित किये जाने हेतु लेख किया गया।

R. 3974- II/14 (निगरानी)

26.10.16 - प्रस्तुत विवाद 2 वर्षों से लंबित है। आवेदक को सुनवाई हेतु [illegible] उपस्थित होने हेतु पत्र भेजी जा चुकी है, फिर भी उपस्थित नहीं। प्रस्तुत मामले के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख संचित किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
आयुक्त

R
2/11